संख्या-61/2019/1691 ई-2/तेरह-2019-85(रिट)/2017

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।
उत्तर प्रदेश।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 25 सितम्बर, 2019

विषयः- उत्तर प्रदेश मादकपान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976 के प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में मादक वस्तुओं के विज्ञापन का प्रतिषेध है और इसके विनियमन हेतु उत्तर प्रदेश मादकपान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976 लागू है। विभिन्न मदिरा उत्पादक इकाईयों द्वारा इसका उल्लंघन करने अथवा इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को निष्प्रभावी बनाने के लिये निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। एक सामाजिक संस्था Struggle Against Pain द्वारा उपर्युक्त व्यवस्थाओं के उल्लंघन पर मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक जनहित याचिका संख्या 12510/2006 योजित की गई थी। मा. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.03.2019 में स्पष्टतः निर्देशित किया है, "We, therefore, allow this writ petition and direct State of U.P. and Excise Commissioner as also police authorities to ensure that within the territory of State of U.P. advertisement in question as well as similarly placed advertisements of liquor Manufactures and traders are not displayed, shown on televisions or cinema halls or circulated or published in any newspaper and magazines etc. Authorities concern shall take appropriate action in this regards, so that in the State of U.P. such advertisements are not carried out/ displayed /exhibited/published /etc"

मा. उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित मार्गदर्शक निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

1. शराब उत्पादकों एवं व्यापारियों द्वारा किसी भी ब्राण्ड का किसी भी रूप अर्थात् प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया जाना, दूरदर्शन अथवा सिनेमा हाल में दिखाया जाना या वितरित किया जाना एवं किसी समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशित कराना पूर्णतः निषिद्ध है।

2. शराब के विज्ञापन के अन्तर्गत कोई मुद्रित, साइक्लोस्टाइल, टंकित किया हुआ, हाथ से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लिखा हुआ या टैग से तैयार किया हुआ रेखाकंन या चित्रांकन, किसी सार्वजनिक स्थान अथवा किसी दीवार, भवन या विज्ञापन पर प्रदर्शित किया जाना निषिद्ध है।

3. किसी भी शराब के व्यवसायी द्वारा किसी भी मादकपान के उपभोग के लिये निवेदन या उसके विक्रय के लिये प्रस्तुत करने वाला कोई भी विज्ञापन न तो प्रकाशित करेगा और न ही प्रकशित करायेगा।

4. मदिरा उत्पादक पेय आसवनियों द्वारा चतुराईपूर्ण विज्ञापन में अपने उत्पादक ब्राण्ड का काफी बड़े अक्षरों में विज्ञापन देकर नीचे काफी छोटे व अपठनीय अक्षरों में अन्य विविध माध्यमों से उदाहरणस्वरूप निम्न छद्म विज्ञापन किया जाता हैः-

(1) संगीतमय कार्यक्रमों में ''छाया सुनिधि का जादू'' के आड़ में शराब के ब्राण्ड जैसे सीग्राम इम्पीरियल ब्लू, साथ में ही सूक्ष्म शब्दों में विज्ञापन में सुपरहिट लिख दिया जाता है, जो कि लगभग अपठनीय होता है तथा म्यूजिकल कैसेट एवं सीडियों पर भी उक्त शब्द अंकित कर दिये जाते हैं, जिसे सामान्य आंखों से पढ़ना सम्भव नहीं हो पाता है।

(2) कुछ पत्रिकाओं में सीग्राम ब्लैण्डर्स प्राइड, मैजिकल नाइट्स का मोनोग्राम उनके उत्पादकों द्वारा प्रकाशित कराया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है कि वास्तव में वह किस प्रोडक्ट का विज्ञापन दे रहे हैं तथा उस विज्ञापन में यह भी लिख दिया जाता है कि ''Take the guess work out of good taste'' जिसके साथ युवा लड़के एवं युवा लड़कियों के अश्लील फोटो मुद्रित रहते हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से मादक वस्तु के विज्ञापन की ओर इंगित करते हैं।

(3) कुछ विज्ञापनों में यह प्रदर्शित किया जाता है कि ''कुछ लोग होते हैं Special'' तथा उसके साथ ''डायरेक्टर स्पेशल व्हिस्की का मोनोग्राम'' सूक्ष्म रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है, जो कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता।

(4) कुछ पत्रिकाओं के विज्ञापन में युवा लड़के एवं युवा लड़कियों के चेहरे पर मास्क लगा होता है जिस पर रेडिको का मोनोग्राम के साथ यह शब्द या यह वाक्य लिखा होता है ''अब 8 PM है दुनिया का सबसे तेजी से बिकने वाला ब्राण्ड''। रेडिको का कौन सा उत्पाद है, इसका उल्लेख नहीं रहता है। इसी प्रकार मैकडावेल के विज्ञापन में दो युवा लड़के मोटरसाइकिल पर खुशनुमा माहौल में कैसे प्रदर्शित किये गये हैं तथा उसके साथ मैकडावेल का मोनोग्राम प्रदर्शित किया जाता है कि ''McDowell's No.1 Celebration''

(5) इसी प्रकार शॉ वैलेस के विज्ञापन में दो युवा लड़को को चश्मे तथा Carton Bottle गोल्फ के गेंद के साथ ''Shaw Wallace ESTD.1986'' का मध्य में मोनोग्राम प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार रायल चैलेन्ज, ''An Exquisite Set of Three Premium Golf Balls'' का मोनोग्राम मुद्रित रहता है, जबकि उत्पाद का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उल्लेख नहीं रहता है। इसी प्रकार सीग्राम रायल स्टेग के विज्ञापन में चार युवा लड़कियां तथा एक युवा लड़का प्रदर्शित किये जाते हैं तथा उसके विज्ञापन पर कम्पनी का मोनोग्राम मुद्रित कर या अंकित रहता है कि ''Its your Party, Make it Large''

(6) इसी प्रकार किंगफिशर कम्पनी अपने विज्ञापनों में अपने मोनोग्राम के नीचे ''Food Tastes Better With'' अंकित करती है, इसी प्रकार Gilbays कम्पनी ग्रीन लेबिल मोनोग्राम के नीचे ''कुछ पाना है, कुछ कर दिखाना है'' मुद्रित रहता है।

उपरोक्त समस्त प्रकार के उदाहरण मा. उच्च न्यायालय ने शराब का छद्म विज्ञापन मानकर उन्हें प्रतिबन्धित किया है, क्योंकि प्रसिद्ध कम्पनियों द्वारा अपने अन्य उत्पाद का विज्ञापन करते हुए अपने मोनोग्राम का दुरूपयोग कर छद्म रूप से शराब का विज्ञापन किया जा रहा है।

अतः मा. न्यायालय के आदेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ऐसे विज्ञापनों को तत्काल बन्द कराया जाए। उपर्युक्त निर्देशों के उल्लंघन पर उल्लंघनकर्ता को उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976 की धारा-6 के अन्तर्गत 06 माह तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित कराने हेतु अभियोजन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न की जाय।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-61/2019/1691(1)ई-2/तेरह-2019 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(ईश्वरी प्रसाद पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in